कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सपरार प्रखण्ड, झाँसी

<u>मत्स्य पालन/आखेट हेतु नीलामी सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि सिंचाई विभाग सपरार प्रखण्ड, झांसी के प्रथम एवं द्वितीय उपखण्ड, मऊरानीपुर में निम्न झील/तालाब आदि में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट का पट्टा/ठेका नीलामी के द्वारा उनके सम्मुख अवधि हेतु दिनांक 17.08.2022 समय 12.00 बजे दिन, स्थान कार्यालय– अधिशासी अभियन्ता, सपरार प्रखण्ड, झांसी, प्रांगण में की जायेगी। नीलामी हेतु निम्नांकित शर्तो को पूर्ण करने वाले मत्स्य जीवी सहकारी समिति के साथ–साथ अन्य ठेकेदार भी प्रतिभाग कर सकेगे। पूर्व नीलामी में अधिकतम बोलीकर्ता/ठेकेदार/समिति के अध्यक्ष व सदस्य जो शासनादेश/शरायत नीलामी की शर्तो का अनुपालन न करने तथा अनुबन्ध कराने में असफल रहें है वे नीलामी में भाग नहीं ले सकेगें।

क्र0 सं0	नाम जलाशय	रकवा डूब क्षेत्र (हेक्टे0 में)	जमानत धनराशी	नीलामी की अवधि
1	2	3	4	5
1	मगरपुर तालाब	40.874	3,35,000.00	(03) तीन वर्ष (स्वीकृति की दिनांक से 30.06.2025 तक)
2	शेखरा तालाब	29.00	57,000.00	
3	मगरवारा तालाब	85.00	1,78,000.00	

<u>शर्ते :–</u>

1. बोली बोलने वाले प्रत्येक सदस्य को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. प्रत्येक खरीददार को बोली बोलने के पूर्व जमानत धनराशि जो गठित समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी, जमा करनी होगी, जो बाद में नीलामी समाप्त होने पर वापिस हो सकेगी।

3. मत्स्य आखेट हेतु उच्चतम बोली बोलने वाली समिति/ठेकेदार को नीलामी समाप्त होने पर प्रथम वर्ष की बोली की 50% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। प्रथम वर्ष की अवशेष 50% धनराशि ठेका स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर जमा करनी होगी। ठेकेदार/समिति को द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष तक ठेके की वार्षिक धनराशि का ¼ भाग 15 जून तक, ¼ भाग 15 सितम्बर तक तथा अवशेष ½ भाग दिसम्बर तक प्रत्येक वर्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वार्षिक किश्तों की अदायगी नही की जाती है, तो देय तिथि से ठेका समाप्त कर पुनः नीलाम किया जा सकता है।

4. नीलामी हेतु अन्य शर्ते अधिशासी अभियन्ता, सपरार प्रखण्ड, झांसी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है व नीलामी के समय भी सुनाई जायेगी।

नोटः– कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य है ।

(अजय कुमार भारती)
अधिशासी अभियन्ता